भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2373

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023, अग्रहायण 27, 1945 (शक) को दिया जाना है

केंद्रीय माल और सेवा कर, राज्य माल और सेवा कर तथा एकीकृत माल और सेवा कर का संग्रह

2373: श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वित्त वर्षों के दौरान सभी वस्तुओं और सेवाओं से वर्ष-वार केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी), राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) तथा एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) की अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ख) वर्ष 2014 से राज्यों को हस्तांतरित किए गए जीएसटी का राज्य-वार, विशेषकर तमिलनाडु का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसका कितना भाग अपने पास रखा गया है;

(ग) विगत पांच वित्त वर्षों के दौरान आईजीएसटी खाते में अनिर्णित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) आईजीएसटी खाते से, विशेषकर तमिलनाडु का, जीएसटी के राज्यों के भाग को हस्तांतरित करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा आईजीएसटी खाते का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है;

(च) क्या जीएसटी परिषद अथवा सरकार ने जीएसटी से पूर्व की अवधि के दौरान राज्यों द्वारा अनुमानित राजस्व संग्रहण और जीएसटी के बाद राज्यों को प्राप्त वास्तविक राजस्व की तुलना करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी), राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) और एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) शीर्ष के तहत घरेलू लेनदेन पर माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का विवरण इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी
2018-19	2,02,444	2,78,817	3,08,243
2019-20	2,27,442	3,09,231	3,19,422
2020-21	2,09,916	2,72,828	3,03,946
2021-22	2,69,137	3,44,216	3,85,314
2022-23	3,23,923	4,10,251	4,73,421

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों को आईजीएसटी निपटान का विवरण (नियमित और तदर्थ) और सरकार से संबंधित प्रमात्रा का विवरण **अनुबंध** के अनुसार है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान आईजीएसटी की अनिर्धारित राशि का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रूपए में)
2018-19	0
2019-20	9,125.20
2020-21	7,251.43
2021-22	2,119.08
2022-23	4,748.29

(**घ) और (ङ):** जी नहीं, तमिलनाडु राज्य सहित राज्यों को आईजीएसटी के अंतरण में कोई देरी नहीं हुई है। जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी शामिल होता है। सीजीएसटी को भारत के समेकित कोष (सीएफआई) में जमा किया जाता है जबकि एसजीएसटी को संबंधित राज्यों के समेकित कोष में जमा किया जाता है। आईजीएसटी को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जा रहा है। इस प्रकार एकत्रित आईजीएसटी (घरेलू + आयात) का माल और सेवा कर निधियों का निपटान नियम, 2017 के तहत यथा-परिकल्पित अनुसार, उपभोग के स्थान और आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के प्रति-उपयोग के आधार पर मासिक आधार पर (प्रत्येक माह के अंत तक) संघ और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभाजन / निपटान किया जाता है। आईजीएसटी की शेष अविभाजित राशि का केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समय-समय पर तदर्थ आधार पर 50:50 के अनुपात में अनंतिम/ अग्रिम निपटान किया जाता है।

(च) और (छ): राजस्व विभाग द्वारा मई 2023 में एक आंतरिक अध्ययन किया गया था, जिसका विवरण 24 मई 2023 को एक प्रमुख बिजनेस दैनिक में "जीएसटी एक गेम-चेंजर रहा है" शीर्षक से एक लेख में प्रकाशित हुआ था। अध्ययन का सार इस प्रकार है:

(i) 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए सकल समग्र जीएसटी राजस्व (राज्य तथा केंद्र) की औसत वृद्धि दर औसत नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत की तुलना में 12.3 प्रतिशत है, जो 1.25 के कर उछाल का संकेत देती है। इसकी तुलना में, 2012-17 की पांच साल की अवधि (जीएसटी से पहले की अवधि) के लिए, जीएसटी (राज्य प्लस केंद्र) में शामिल किए गए करों में उछाल केवल 0.9988 था।

(ii) 2018-23 के दौरान, राज्यों के एसजीएसटी राजस्व (राज्यों को जारी मुआवजे सहित) में 1.22 का उछाल देखा गया। इस अवधि में राज्यों को कुल ₹37.7 ट्रिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ और इसमें ₹29.2 ट्रिलियन से अधिक के राजस्व पश्च निपटान सहित जीएसटी के बाद पांच साल की अवधि के दौरान जारी किया गया ₹8.5 ट्रिलियन का मुआवजा शामिल है। मुआवजे के बिना भी, राज्य जीएसटी राजस्व में 1.15 का उछाल देखा गया है। इसकी तुलना में, जीएसटी में सम्मिलित करों से राज्यों के राजस्व में जीएसटी से पहले चार साल की अवधि 2012-16 में मात्र 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। उक्त अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 11.5 प्रतिशत थी, जो 0.72 की उछाल को दर्शाती है, जो कि 1 से काफी कम है।

*****

अनुबंध

राज्यों को आईजीएसटी निपटान के विवरण (नियमित एवं तदर्थ)

(करोड़ रूपए में)

राज्य कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24 (नवंबर, 23 तक)
1	जम्मू एवं कश्मीर	3,452	2,957	3,339	4,367	4,923	3,407
2	हिमाचल प्रदेश	1,844	1,819	1,984	2,711	3,197	1,970
3	पंजाब	8,170	7,167	7,142	9,933	11,762	9,123
4	चंडीगढ़	1,046	886	791	1,187	1,495	1,067
5	उत्तराखंड	1,030	1,077	1,485	2,381	2,767	1,961
6	हरियाणा	6,353	5,561	7,562	9,972	12,809	9,719
7	दिल्ली	8,608	7,897	7,673	11,999	14,665	10,698
8	राजस्थान	12,181	10,130	10,536	15,100	19,377	14,351
9	उत्तर प्रदेश	26,655	25,738	24,748	32,584	38,685	27,657
10	बिहार	10,419	9,979	10,801	13,293	15,841	11,614
11	सिक्किम	225	270	242	395	538	356
12	अरूणाचल प्रदेश	400	512	539	798	1,129	858
13	नागालैंड	373	469	476	643	736	495
14	मणिपुर	514	604	657	843	1,118	501
15	मिजोरम	347	397	421	565	662	452
16	त्रिपुरा	682	662	687	896	1,028	703
17	मेघालय	522	575	536	770	1,001	709
18	असम	4,841	4,556	4,721	6,005	7,458	5,668
19	पश्चिम बंगाल	12,482	10,898	11,251	14,057	17,537	12,443
20	झारखंड	3,122	2,928	3,129	3,376	3,676	2,251
21	ओडीशा	5,376	4,750	5,528	4,542	5,402	4,889
22	छत्तीसगढ	3,122	2,347	2,621	2,765	3,929	3,433
23	मध्य प्रदेश	11,424	10,559	10,537	13,348	16,888	12,178
24	गुजरात	11,496	8,639	8,735	15,592	20,207	13,874
25	दमन एवं दीव	120	43	69	90	40	1
26	दादरा नगर हवेली	151	143	214	468	505	272
27	महाराष्ट्र	28,899	23,185	23,310	35,310	43,598	30,569
29	कर्नाटक	19,475	17,194	18,425	25,534	30,150	22,053
30	गोवा	1,109	954	885	1,438	1,575	1,129
31	लक्षद्वीप	11	17	19	23	37	53
32	केरल	12,849	10,627	10,939	14,098	16,877	11,451
33	तमिलनाडु	17,268	14,228	14,039	19,475	21,841	15,426
34	पुडूचेरी	552	401	451	590	698	603
35	अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	195	217	215	238	301	206
36	तेलंगाना	12,788	11,098	12,040	15,890	21,131	13,697
37	आंध्र प्रदेश	11,849	11,081	10,601	13,766	16,048	11,662
38	लद्दाख	-	-	126	227	346	302
	कुल	**2,39,948**	**2,10,562**	**2,17,477**	**2,95,269**	**3,59,977**	**2,57,796**

केंद्र से संबंधित आईजीएसटी के विवरण

(करोड़ रूपए में)

वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24 (नवंबर, 23 तक)
2,65,518	2,83,491	2,65,601	3,48,966	4,24,180	3,09,309